प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक-30 मार्च, 2020

विषय- डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निष्प्रयोज्य बस के प्रतिस्थापन हेतु नये वाहन के क्रय की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6203/नजारत-4/80-वा0क्र0/2019, दिनांक 28.02.2020 एवं शासनादेश संख्या संख्या-63/2019/868/22-4-2019-22/99, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ की 01 नग निष्प्रयोज्य बस के स्थान पर शासनादेश दिनांक-25.10.2019 द्वारा 01 नग (Eicher 10.90 L Staff Starline (39+1) seater HHR 2x2 VAS AC) वाहन क्रय किये जाने हेतु रू0 21,31,057/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त वाहन की अवशेष धनराशि रू0 1,01,473/- (रूपया एक लाख एक हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- प्रश्नगत बस के क्रय की स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 25.10.2019 में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 800-अन्य व्यय, 18-कारागार प्रशिक्षण विद्यालय-14-मोटर गाडियों का क्रय" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-847/दस/2020, दिनांक-30 मार्च, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-19/2020/255(1)/22-4-2020-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in